



(20)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप भोपाल।

निगरानी प्रकरण क्रमांक /
PBR/निगरानी/भोपाल/भू-२/2017/ ~~3818~~ 3818

गुलाबबाई पत्नि रामचरण अहिरवार आयु 35 वर्ष
निवासी ग्राम कढैयाकलां कृषक ग्राम खैरखेड़ी -
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0निगरानीकर्ता

आवेदक अभिभाषक

श्री रमणीव श्रीवास्तव

भोपाल कैंप में

दि. 28/9/17

को मुस्तुफ़िया
उस्तुव

Behushal
28/9/17

विरुद्ध

दयालसिंह आत्मज श्री छीतर आयु वयस्क
जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वेलीकलां तहसील
बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

उपरोक्त निगरानी राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/अ-12
/2016-2017 (दयालसिंह विरुद्ध सर्वसाधारण) में
अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक बैरसिया द्वारा की गई
सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 9/3/2017 से दुखी व
असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत
की जाती है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1:- यह कि निगरानी कर्ता भूमि खसरा क्रमांक 35/2/2
रकबा 0.809 हे0 भूराजस्व 3.49 हे0 स्थित ग्राम खैरखेड़ी तहसील
बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 की एक मात्र भूमि स्वामी है उक्त भूमि
निगरानीकर्ता द्वारा पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 10/5/2000 को
पूर्व भूमि स्वामी भारतसिंह आत्मज रामसिंह निवासी ग्राम खैरखेड़ी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल से क्रय कर कब्जा प्रदान किया
गया था। तभी से निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर कृषि कार्य करती
चली आ रही है। व अपने परिवार का पालन पोषण करती चली
आ रही है।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के ह. प्र.
<p>2.11.2017</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>आवेदन की ओर से सूचना उपरोक्त कोई उपाक्षित नहीं। तीसरे कार पुरकार लगाई गई, फिर भी कोई उपाक्षित नहीं। अतः प्रमाण अलग पत्रों में निरस्त किया जाता है।</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> अध्यक्ष</p>	